

## कार्यालय नगर पालिका, लालसोट दौसा (राज.)

प्रमाणिक: न.पालिका / 12 /

दिनांक: .....

### निर्माण अनुमति-पत्र

श्री ..... पुत्र श्री .....  
जाति ..... निवासी मोहल्ला ..... वार्ड नं. ....  
करबा लालसोट जिला दौसा को उसके प्रार्थना पत्र दिनांक ..... के सन्दर्भ में  
स्थान ..... वार्ड नं. .... पर ..... के  
निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने की अनुमति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 (अधिनियम  
संख्या 38 सन् 1959) की धारा 170 की उपधारा ( 6 ) के अधीन प्रदान की जाती हैं तथा निम्न  
वर्णित अनुबन्ध प्रतिबन्ध आदेश और निर्देशन की पूर्ति करने का निर्देशित किया जाता है।

1. निर्माण की वस्तुस्थिति का मानचित्र अनुमोदित किया जाकर संलग्न हैं।
2. अनुमोदित मानचित्र निर्णय दिनांक ..... के प्रतिकूल कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
3. निर्माण कार्य सूर्योदय तथा सूर्यास्त के मध्य ही कराया जावें।
4. समस्त बरसाती अथवा दैनिक प्रयोग के परनालों पर सीमेन्ट के अथवा लोहे के बने हुए पाइप लगाना अनिवार्य होगा तथा सभी परनालों को उपयुक्त नाली द्वारा पृथक से नाबदान (Cess pool) बनया जाकर जोडा जाये।
5. तहारत फलश पद्धति का उपयुक्त रीति से बनया जावें।
6. कार्यपूर्ति की सूचना अधिनियम की धारा 120 के अधीन कार्यपूर्ति के बाद एक मास की अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग टैंक प्लाट के अन्दर बनाना होगा।

इस अनुमति पत्र के अधीन निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त करने की तिथि से से ~~दो~~ वर्ष की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जावेगा अवधि समाप्ति के पश्चात् अपूर्ण निर्माण की अनुमति धारा 156 की उपधारा (10) के अन्तर्गत नवीन रूप से प्राप्त करने पर ही जारी रखा जा सकेगा।

अधिसापी अधिकारी

नगर पालिका लालसोट